न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
88 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	08.10.2021	17.01.2025

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ओम प्रकाश विनोद कुमार जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक राज. निवासी जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री रमेश शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 17/1/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 05.05.2021 को समय 11:11 ए.एम. पर थानाधिकारी निवाई श्री अजय कुमार द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि आस जी की ढाणी चौरपुरा तह. निवाई में मिलावटी घी अलग–अलग ब्राण्ड बनाने का कारखाना पकडा गया जिससे घी के नमूने जांच करवाने हेतु लिये जाने है, सूचना मिलने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय वाहन व जांच दल के मौके पर पहुंचकर थाना अधिकारी निवाई से तहरीर ली गई आस जी की ढाणी चौरपुरा तह. निवाई जिला टोंक पर गोवर्धन मीणा के मकान पर लगभग दोपहर पश्चात 01:35 पी.एम. पर पहुचें जहां पर मैसर्स ओम प्रकाश विनोद कुमार जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक के मालिक श्री पदम चन्द जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन घी बनाने वाले गोदाम पर उपस्थित मिले, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पदम चन्द जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान मैसर्स ओम प्रकाश विनोद कुमार जयपुर रोड जमात निवाई जिला टोंक का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच दल व थानाधिकारी निवाई की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दो कमरों में अलग–अलग ब्राण्ड सरस, कृष्णा, महान 500–500 ग्राम के 30–30 पैकेटों के 08 कार्टून

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

898–898 ग्राम में घी अलग–अलग 03 कार्टून 15–15 किग्रा. के तैयार शुदा रखे हुये पाये गये, साथ ही अन्य कार्टूनों में अलग–अलग मात्रा में **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** व सरस ब्राण्ड गोदाम में कागज के 7 कार्टूनों में 898–898 ग्राम मात्रा में रखा हुआ पाया गया। दूसरे कमरे का निरीक्षण करने पर पाया कि घी बनाने हेतु काम में आने वाली साम्रगी यथा वनस्पति 15 किग्रा के 11 नग होटल किंग ब्राण्ड, रिफाइन्ड सोयाबीन तेल के 15 किग्रा के 7 नग न्यूट्रीलाइव ब्राण्ड, पैकिंग मशीन, रेपर कृष्णा, सरस, पारस, लोटस ब्राण्ड 500–500 ग्राम व 898–898 ग्राम के हजारों की मात्रा में, घी बनाने के काम आने वाला एसेन्स नन्दी ब्राण्ड की 5 खाली बोतलें 1–1 लीटर की आदि। पहले वाले कमरे में से तैयार शुदा **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** 898–898 ग्राम के पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 898–898 ग्राम के 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** 898–898 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2849 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2849 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/21/2025 दिनांक 10.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/632/एक्ट/2021/666 दिनांक 10.05.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zz)(iv) व 3(i)(zz)(xi) का उल्लंघन करने के कारण **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया जिसकी रिपोर्ट विक्रेता को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध श्री पदम चन्द जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने समयावधि में धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस.ए/732 एफ/2021 दिनांक 17.09.2021 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रमेश शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त घी मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। इसके लेबल पर भी समस्त आवश्यक जानकारी अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

भातेरवाल जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी कृष्णा एगमार्क स्पेशल ग्रेड ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark Special Grade)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0